

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री प्रशान्त शर्मा आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 54/2020

प्रार्थी
तहसीलदार बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी

आयुक्त नगर परिषद् बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 68 RLA Act.

उपस्थिति :- 1. पैरोकार सरकार।

आदेश

दिनांक 22-9-20

प्रार्थी तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि डिजिटल इण्डिया लेण्ड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत ग्राम बाड़मेर शहर पटवार मण्डल बाड़मेर शहर तहसील व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी के सेग्रीगेशन एवं हिस्सा दुरुस्ती करते वक्त नगर परिषद् बाड़मेर की खातेदारी भूमि के मूल खाता संख्या 1647 में से नव सृजित खसरा संख्या 3219/1647, 3220/1647, 3221/1647, 3222/1647, 3223/1647, 3224/1647, 3225/1647, 3226/1647, 3227/1647, 3228/1647, 3229/1647, 3230/1647, 3231/1647, 3232/1647, 3233/1647, 3234/1647, 3235/1647, 3236/1647, 3237/1647, 3238/1647, 3239/1647, 3240/1647, 3499/1647 व 3500/1647 कुल रकबा 07.04.15 बीघा का ऐकीकरण कर नगर परिषद् बाड़मेर के हिस्से में ही दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी आयुक्त नगर परिषद् बाड़मेर ने नोटिस का जवाब इस आशय का उपलब्ध करवाया कि ग्राम बाड़मेर शहर पटवार मण्डल बाड़मेर शहर तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 3219/1647, 3220/1647, 3221/1647, 3222/1647, 3223/1647, 3224/1647, 3225/1647, 3226/1647, 3227/1647, 3228/1647, 3229/1647, 3230/1647, 3231/1647, 3232/1647, 3233/1647, 3234/1647, 3235/1647, 3236/1647, 3237/1647, 3238/1647, 3239/1647, 3240/1647, 3499/1647 व 3500/1647 कुल रकबा 07.04.15 बीघा का ऐकीकरण कर एक खसरा संख्या 3219/1647 रकबा 07.04.15 बीघा अंकित कर नगर परिषद् बाड़मेर में दर्ज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्राम बाड़मेर शहर पटवार मण्डल बाड़मेर शहर तहसील व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी के सेग्रीगेशन एवं हिस्सा दुरुस्ती करते वक्त नगर परिषद् बाड़मेर की खातेदारी भूमि के मूल खाता संख्या 1647 में से नव सृजित खसरा संख्या 3219/1647, 3220/1647, 3221/1647, 3222/1647, 3223/1647, 3224/1647, 3225/1647, 3226/1647, 3227/1647, 3228/1647,



उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर


3229 / 1647, 3230 / 1647, 3231 / 1647, 3232 / 1647, 3233 / 1647, 3234 / 1647,
3235 / 1647, 3236 / 1647, 3237 / 1647, 3238 / 1647, 3239 / 1647, 3240 / 1647,
3499 / 1647 व 3500 / 1647 कुल रकबा 07.04.15 वीघा का खसरा संख्या
3219 / 1647 रकबा 07.04.15 वीघा नगर परिषद् बाडमेर के नाम एकीकरण किया
जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचनोपरान्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया
जाकर डिजिटल इण्डिया लेण्ड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत ग्राम बाडमेर
शहर पटवार मण्डल बाडमेर शहर तहसील व जिला बाडमेर की जमाबन्दी के
सेग्रीगेशन एवं हिस्सा दुरुस्ती करते वक्त नगर परिषद् बाडमेर की खातेदारी भूमि के
मूल खाता संख्या 1647 में से नव सृजित खसरा संख्या 3219 / 1647, 3220 / 1647,
3221 / 1647, 3222 / 1647, 3223 / 1647, 3224 / 1647, 3225 / 1647, 3226 / 1647,
3227 / 1647, 3228 / 1647, 3229 / 1647, 3230 / 1647, 3231 / 1647, 3232 / 1647,
3233 / 1647, 3234 / 1647, 3235 / 1647, 3236 / 1647, 3237 / 1647, 3238 / 1647,
3239 / 1647, 3240 / 1647, 3499 / 1647 व 3500 / 1647 कुल रकबा 07.04.15 वीघा
का एकीकृत कर तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तावित नया का खसरा संख्या
3219 / 1647 रकबा 07.04.15 वीघा नगर परिषद् बाडमेर के नाम अंकित किये जाने के
आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख व लठ्ठा ट्रेस में
तरमीम दुरुस्त करें।

यह आज तारीख 22-9-20 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा
लगाकर दी गई।



आदेश आज दिनांक 22-9-20 को सरें इजलास सुनाया गया।


(प्रशान्त शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर


उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर